न्यायालय अति.जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध :: 20 / 2006

RCMS Case No. 2006 / 00003

प्रार्थी :– **बनाम** **अप्रार्थीः–**

सरकार जरिये तहसीलदार सोजत

1. लीलादेवी पत्नी टीकमचन्द राठौड जाति घांची निवासी सोजत सिटी
2. कमलादेवी पत्नी कानाराम सोलंकी जाति माली, राठौड फ्रंट केरियर, एन.एच. 14 (वर्तमान 161) सोजत सिटी
3. सुमेरचन्द पुत्र दुर्गाचंद सिंघवी, जाति ओसवाल निवासी मोदियों का बास, सोजत सिटी

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. श्री खीमाराम, सरकारी पैरोकार
2. अप्रार्थी एवं उनके द्वारा नियुक्त अधिवक्ता अनुपस्थित।

–:: आदेश ::–

दिनांक 31/12/2018

प्रार्थी तहसीलदार सोजत द्वारा यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण के अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया, जिस पर विधिवत कार्यवाही करत हुए न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 15.01.2007 को आदेश पारित करते हुए प्रकरण माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित कर आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 को किया गया आवंटन दिनांक 22.09.1973 व शुद्धिपत्र दिनांक 17.01.2005 एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को किए गए बेचान की पालना में दायर नामान्तरकरण संख्या 1935, जिससे खातेदारी अधिकार प्रदान किए गए है, को निरस्त फरमाते हुए ग्राम सोजत प्रथम की खसरा नम्बर 5675 / 6325 रकबा 1.56 हैक्टेयर किस्म बारानी को पूर्व में स्थित गैर मुमकीन नदी राजस्व रेकर्ड में दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान कराने का निवेदन किया। माननीय न्यायायल राजस्व मण्डल राजस्थान द्वारा प्रकरण में दिनांक 05.07.2012 को निर्णय पारित करते हुए प्रकरण इन निर्देशों के साथ न्यायालय हाजा को प्रतिप्रेषित किया कि राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि खसरा नम्बर 357 के नवीन खसरा नम्बरान् का पूर्ण विवरण तथा किस्म परिवर्तन एवं आवंटन आदेश की प्रति संलग्न कर अपनी विस्तृत टिप्पणी अंकित कर पुनः रेफरेन्स सम्बन्धी आगामी कार्यवाही सम्पादित करें। इस पर प्रकरण पुनः दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील के न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रकरण में गुणावगुण पर कार्यवाही की जाती है।

पत्रावली तथा प्रस्तुत राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। ग्राम सोजत चक I के वर्तमान खसरा नम्बर 5675 / 6325 रकबा 1.56 हैक्टेयर की भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की खातेदारी दर्ज है। उक्त भूमि के

अति॰ जिला कलेक्टर, पाली

साबिक खसरा नम्बर 357 रकबा 104 बीघा 13 बिस्वा किस्म गै0मु0 नदी थी। गत खसरा नम्बर 537 से हाल खसरा नम्बर 5673, 5675 व 5676 कायम हुए। आवंटन सलाहकार समिति की अनुशंषा पर उपखण्ड अधिकारी सोजत द्वारा दिनांक 22.09.1973 को खसरा नम्बर 357 रकबा 104 बीघा 13 बिस्वा में से 10 बीघा भूमि अप्रार्थी संख्या 3 को आवंटन की गई। वक्त आवंटन उक्त भूमि कि किस्म गै0मु0 नदी थी, जो आवंटन आदेश से स्पष्ट होता है। आवंटन होने के पश्चात आवंटी को बतौर गैर खातेदार दर्ज किया गया, जिसे शुद्धि पत्र संख्या 29 दिनांक 17.01.2005 के जरिये गैर खातेदार से खातेदारी अधिकार प्रदान करते हुए अप्रार्थी संख्या 3 का नाम बतौर खातेदार इन्द्राज किया गया। इसके पश्चात अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा उक्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में बेचान किया गया, जिसकी पालना में नामान्तरकरण संख्या 1935 दिनांक 17.02.2005 के जरिये अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का नाम बतौर खातेदार दर्ज किया गया। चूंकि वक्त आवंटन प्रश्नगत आराजी की किस्म गै0मु0 नदी थी, जो आवंटन से प्रतिबन्धित थी। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 16 के तहत नदी की भूमि आवंटन नियमन से प्रतिबन्धित है तथा साथ ही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी एस0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 के बिन्दु संख्या 4 की पालना में ऐसी भूमि में हुए आवंटन को अपास्त करते हुए पूर्व की स्थिति बहाल की जानी है।

अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजात् के माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि उपखण्ड अधिकारी सोजत द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष में ग्राम सोजत चक I के गत खसरा नम्बर 357 में से 10 बीघा भूमि के आवंटन, जिसके हाल खसरा नम्बर 5675/6325 रकबा 1.56 हैक्टेयर किस्म बारानी तथा गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्राप्ति के शुद्धि पत्र संख्या 29 दिनांक 17.01.2005 एवं उसके पश्चात प्रश्नगत आराजी के बेचान के आधार पर दायर नामान्तरकरण संख्या 1935 दिनांक 17.02.2005 को अपास्त कराते हुए ग्राम सोजत चक I के हाल खसरा नम्बर 5675/6325 रकबा 1.56 हैक्टेयर किस्म बारानी की आराजी को राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकीन नदी दर्ज कराने का आदेश प्रदान करावें।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति.जिला कलेक्टर,पाली